

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या 15/44/2020 रजिस्ट्रेशन नं० 2020/00105 प्रवेश तिथि 18/08/2020 निर्णय दिनांक 2-3-2021

1. बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मुख्य कार्यालय-लोकमंगल 1501, शिवाजी नगर पुणे-41005 एवं अचल शाखा कार्यालय-6 वॉ तल, फार्च्यून हाइट्स, सी-94, मुख्य सुभाष मार्ग, अहिंसा सर्किल, सी स्कीम जिला जयपुर-302001 (राज०)।

प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ए. के. कम्प्यूटर्स, जरिये प्रोपराईटर श्री अशोक कुमार यादव, निवासी-चौधरी कॉम्प्लेक्स, I फ्लोर, पी. डब्ल्यू. डी. ऑफिस के सामने, मैन चौराहा बहरोड़, जिला अलवर-301701 (राज०)।
2. श्री अशोक कुमार यादव, निवासी वार्ड नं० 8, ग्राम बिचपुरी, तहसील नीमराणा, जिला अलवर-301709 (राज०)।
3. श्रीमती सुशीला देवी पत्नि श्री अशोक कुमार यादव, निवासी वार्ड नं० 8, ग्राम बिचपुरी, तहसील नीमराणा, जिला अलवर-301709 (राज०)।
4. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री रोहिताश्व सिंह, निवासी - बी-33 एफ/एफ, इंडिया एन्क्लेव नेबसराई, नई दिल्ली।


अप्रार्थीगण/ऋणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

—:: निर्णय ::—

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी को कुल 10,00,000/-रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारों द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं की अचल सम्पत्ति खसरा नं० 769, रेजिडेन्सीयल पट्टा नं० 42, ग्राम बिचपुरी, पोस्ट पीपली तहसील नीमराणा, जिला अलवर (राज०) जिसका कुल क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तों के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नहीं की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त खसरा नं० 769, रेजिडेन्सीयल पट्टा नं० 42, ग्राम बिचपुरी, पोस्ट पीपली तहसील नीमराणा, जिला अलवर (राज०) जिसका कुल क्षेत्रफल 150 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।



जिला कलक्टर, अलवर

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिये जाते हैं:-

2. रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।
3. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे हैं, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार नीमराना, जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्वोरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा-31 के प्रावधानों की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो, रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर, जिला अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 2-3-2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(नन्नूमल पहाडिया)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर